उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1
संख्या-8/2017-वे0आ0-1-793/दस-2017-6(एम)/2016
लखनऊ दिनांक 05 दिसम्बर, 2017

इस अनुभाग के पत्र संख्या-2/2017/वे0आ0-1-279/दस-17-6(एम)/2016, दिनांक 11 जुलाई, 2017 के क्रम में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/9/2017-ई-।।(बी), दिनांक 20 सितम्बर, 2017 (अग्रेजी प्रति) एवं कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/३/2008-ई-।।(बी), दिनांक 26 सितम्बर, 2017 की (हिन्दी/अग्रेजी) तथा कार्यालय-ज्ञापन संख्या-1/३/2008-ई-।।(बी), दिनांक 26 सितम्बर, 2017 की (हिन्दी/अग्रेजी) की प्रति निम्नलिखित को इस आशय से पृष्ठांकित की जा रही है कि कृपया प्रदेश में तैनात अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को उक्त कार्यालय ज्ञापन की व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2017 से महंगाई भत्ते का भुगतान सुनिश्चित करने कष्ट करें :-

1- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय।

मुकेश मित्तल
सचिव।

संख्या-8/2017-वे0आ0-1-793(1)/दस-2017, तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यकय कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-2, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- सचिवालय में तैनात अखिल भारतीय सेवा के समस्त अधिकारी।
3- प्रभारी, निकनेट सेल, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।
4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-3
5- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

आज्ञा से,

के0एल0 वर्मा
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

No. 1/3/2017-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
*****

New Delhi, the 20th September, 2017.

13

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Dearness Allowance to Central Government employees- Revised Rates effective from 01.07.2017.

***

The undersigned is directed to refer to this Ministry's Office Memorandum No. 1/3/2017-E.II(B) dated 30th March, 2017 on the subject mentioned above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance to Central Government employees shall be enhanced from the existing rate of 4% to 5% of the basic pay per month, with effect from **1st July, 2017**.

2. The term 'basic pay' in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9(21).

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. These orders shall also apply to the civilian employees paid from the Defence Services Estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant Head of the Defence Services Estimates. In respect of Armed Forces personnel and Railway employees, separate orders will be issued by the Ministry of Defence and Ministry of Railways, respectively.

6. In so far as the employees working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: C&AG, UPSC, etc. as per standard endorsement list.

No. 1/3/2008 E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

New Delhi, dated the 26th September, 2017

21-17

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.07.2017 to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 7th April, 2017 revising the rate of Dearness Allowance w.e.f. 01.01.2017 in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay **as per 6th Central Pay Commission**.

2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing 136% to **139% w.e.f. 01.07.2017.**

3. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(3)/2008-E.II(B) dated 29th August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: **C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).**

सं.1/3/2008-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषयः छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 01.07.2017 से लागू दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 7 अप्रैल, 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, जो छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान/ग्रेड वेतन में अपना वेतन आहरित करते आ रहे हैं, के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में 01.01.2017 से संशोधन किया गया था।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की विद्यमान 136% की दर **01.07.2017 से बढ़ाकर 139%** कर दी गई है।

3. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के 29 अगस्त, 2008 के का.ज्ञा. सं. 1(3)/2008-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू बने रहेंगे।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के भी ध्यान में लाई जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपिः नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।

No. 17/2/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

81-15

New Delhi, dated the 26th September, 2017.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- **Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.07.2017 to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scales as per 5th Central Pay Commission**

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. of even No. dated 7th April, 2017 revising the rate of Dearness Allowance w.e.f. 01.01.2017 in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scales **as per 5th Central Pay Commission**.

2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing 264% to **268% w.e.f. 01.07.2017.**

3. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1(13)/97-E.II(B) dated 3rd October, 1997 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To

All Ministries/Departments of the Government of India (as per standard distribution list).

Copy to: **C&AG, UPSC, etc.(as per standard endorsement list).**

सं.1/3/2008-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय: **पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में अपना वेतन आहरित कर रहे केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की 01.07.2017 से लागू दरें।**

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 7 अप्रैल, 2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है जिसके माध्यम से केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों, **जो पांचवे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार** पूर्व-संशोधित वेतनमानों में अपना वेतन आहरित करते आ रहे हैं, के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में 01.01.2017 से संशोधन किया गया था।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के उपर्युक्त वर्गों के कर्मचारियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की विद्यमान 264% की दर **01.07.2017 से बढ़ाकर 268%** कर दी गई है।

3. इन आदेशों के तहत महंगाई भत्ते को विनियमित करते समय, इस मंत्रालय के 3 अक्तूबर, 1997 के का.ज्ञा. सं. 1(13)/97-ई.II(बी) के पैरा 3, 4 और 5 में उल्लिखित प्रावधान लागू बने रहेंगे।

4. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उन सभी संगठनों के भी ध्यान में लाई जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है।

निर्मला देव

(निर्मला देव)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि: नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार)।